उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-1042/2025/3537/41-1-2025-सीएन-1799617
लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2025
संख्या-887/2025/2932/41-1-2025-001-सी0एन0-1799617, दिनांक 15.11.2025 का
शुद्धि पत्र

निदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-371094/DOTUP-ECO/18/2024-ECO, दिनांक 08.12.2025 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद-अयोध्या में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट निर्माण का कौर्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-887/2025/2932/41-1-2025-001-सी0एन0-1799617, दिनांक 15.11.2025 में पृष्ठांकन के क्रमांक-5 पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर बुटिवश मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ अंकित हो गया है।

2. अतः शासनादेश संख्या-887/2025/2932/41-1-2025-001-सी0एन0, 1799617, दिनांक 15.11.2025 में पृष्ठांकन के क्रमांक-5 पर मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** अंकित किया जाता है

3- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 15.11.2025 क 3. एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। शोधित समझा/ पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगें।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

1- प्रधान महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय , उ0प्र0 प्रयागराज।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, आयोध्या।
4.अपर आयुक्त (ग्रेड, वाणिज्य कर विभाग, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर जवाहर भवन, लखनऊ
6.प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राज्य पर्यटन विकस निगम लि०, लखनऊ ।
7.निर्देशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
8. निर्देशके पर्यटन, उ०प्र० नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. उप निदेशक पर्यटन, अयोध्या/देवीपाटन मण्डल, अयोध्या।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।